# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2019/00471

श्रीमती घींसी बाई पुत्र माधो पत्नी गोपाल लाल जाति धाकड निवीस ग्राम दौलाडा हाल निवासी ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान श्योजी लाल आत्मज गोपाल लाल जाति धाकड निवीस ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. बजरंगा उर्फ गौबरिया आत्मज माधो जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।
4. मोहनी बाई पत्नी श्योजी लाल जाति धाकड निवासी अन्थडा तहसील व जिला बून्दी
5. कन्हैया लाल आत्मज श्योजी लाल जाति धाकड निवासी दौलाडा तहसील व जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 21.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दौलाडा तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता माधो आत्मज भवाना के खातेदारी की थी । माधो का 40 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है । वादी एवं

प्रतिवादी क्रम 01 स्व0 माधो के पुत्र एवं पुत्री हैं । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की माता का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है । वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के पिता द्वारा छोडी गई सम्पत्ति के काननून अधिकारी हैं मृतक माधो के वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के अलावा कोई वारिस नहीं है । माधो की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने स्वर्गीय श्री माधो के नाम अंकित वादग्रस्त आराजी को केवल प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज कर दिया जबकि वास्तव में माधो की पुत्री होने के नाते वादिनी प्रतिवादी क्रम 01 के साथ समान भाग की हकदार है । वादग्रस्त आराजी में अकेले प्रतिवादी क्रम 01 का नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादिनी को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी के हिस्से की भूमि पर वादिनी को स्वतंत्र रूप से कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को रहन, बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करें तथा वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता माधो के खातेदारी की थी जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 01 का समान हिस्सा है । वादिनी अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का मृतक पिता की सम्पत्ति में अधिकार मानने के सम्बन्ध में कोई विवेचन किये बिना वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद हक घोषणा का प्रस्तुत किया है जिसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम दौलाडा तहसील बून्दी में स्थित है जिसके बाबत् अपीलान्ट मृतक घींसी बाई के द्वारा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी घींसी बाई के पिता माधो लाल के खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि थी । माधो लाल ने देहान्त 40–45

वर्ष पूर्व हो चुका है । इंतकाल रेस्पोडेन्ट के पक्ष में गलत रूप से दर्ज किया गया है । अपीलान्ट वादिनी माधो लाल की पुत्री है और बजरंगा की बहिन है इस कारण माधो लाल के द्वारा छोडी गई सम्पत्ति में संभाग से हक घोषणा की अधिकारिनी है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाबदावे में यह कथन किया गया है कि वादिनी का कब्जा नहीं है, दावा मियाद बाहर है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध कर दावा को विधि–विरूद्ध मानकर खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । पिता की मृत्यु दिनांक 16.10.1962 को हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री को भी समान रूप से पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है । हक घोषणा के दावे के लिए कोई मियाद नहीं होती है । नामान्तरकरण से कोई अधिकार तय नहीं होते है। । रेस्पोडेन्ट के द्वारा आधी आराजी का बेचान किये जाने से अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं । गोबरीलाल प्रतिवादी अपने बयानों में यह कथन करते हैं कि ' मैंने किसी को गोद नहीं रखा है, शपथ पत्र में ए टू बी मेने नहीं लिखवाया है । शपथ पत्र में सी टू डी मैंने नहीं लिखवाया है । मोहनी बाई ने मुझे एक लाख रूपये दिये थे जो भी वापस छीन लिये । शपथ पत्र में डी टू एफ मैंने नहीं लिखवाया है । वादग्रस्त आराजी में आधी–आधी जमीन हम भाई–बहिन की है । शपथ पत्र में यह भी कथन किया गया है कि जब मेरे पिता मरे थे तब मेरी उम्र 20 साल की थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माधो की मृत्यु सन् 1950 के आस–पास हो गयी थी । मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र देकर बनवाया गया है और उसमें गलत रूप से 1962 की तिथि अंकित की है । कायममुकामान का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह अंकित है कि घीसी बाई के 03 पुत्री हैं परन्तु वादग्रस्त आराजी मृतक द्वारा प्रार्थी शोजीलाल के हक में छोडी गई है इस कारण प्रार्थी को ही कायममुकामान बनाया जावे और जिरह में कुछ और कथन किया है । कन्हैयालाल ने ही बजरंगा का अंतिम संस्कार किया है । अपीलान्ट का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2015–18 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028–2047, नकल भू–प्रबन्ध विभाग फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा प्रदर्श– 4, नकल नोटिस प्रदर्श– 5 असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श – 6, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श–7 पेश किये हैं ।

11. वादी की ओर से बयान श्योलाल कराये गये हैं, बयानों पर पीडब्ल्यू अथवा डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं है ।

12. प्रतिवादी की ओर से बयान जगदीश, गोबरी लाल, घनश्याम एवं हनुमान कराये गये है, बयानों पर पीडब्ल्यू अथवा डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 के अनुसार कुल 05 किता की 06 बीघा 08 बिस्वा आराजी माधो पुत्र भवाना के खाते में दर्ज है और नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 603 मिन 608 और 613 का नया खसरा नम्बर 671 करबा 06 बीघा 13 बिस्वा कायम किया गया है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार खसरा नम्बर 671 की रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा आराजी बजरंग उर्फ गोबरिया आत्मज माधो के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर गोबरिया के जो बयान दर्ज किये गये हैं उसमें जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि घींसी बाई उनकी सगी बहिन है तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त आराजी घींसी बाई वादिनी का 1/2 हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से इस आधार पर इस तनकी नं0 01 को वादिनी के खिलाफ तय किया है कि माधो का देहान्त सन् 1962 में हो चुका है और तब से प्रतिवादी का निर्बाध कब्जा चला आ रहा है, अधीनस्थ न्यायालय का मत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार माधो की मृत्यु होते ही वादिनी घींसी बाई की स्थिति सहखातेदार की हो जाती है । एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल न होकर उसकी ओर से ही माना जाता है । हक घोषणा के दावे के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । वादिनी घींसी बाई का कायममुकामान शोजी लाल को बनाया गया है । श्योजी लाल के द्वारा शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि उनकी 03 बहिनें हैं परन्तु उन्हें ही कायममुकामान बनाया जावे और जिरह में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि एक बहिन थी जो 1995 में स्वर्ग सिधार गयी । इस बहिन के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है । इस प्रकार श्योजी लाल के बयान और उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र से यह प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है कि घींसी बाई के श्योजी लाल के अलावा अन्य विधिक वारिस भी हैं जो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं जिनको पक्षकार बनाये बिना इस प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.06.2014 को घींसी बाई का एकमात्र कायममुकाम श्योजी लाल को बनाया है जो त्रुटिपूर्ण है । इन तथ्यों के आधार पर घींसी बाई के समस्त वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि घींसी बाई के समस्त विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन के मध्य नजर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/12/2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा